सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0(भारत)

Website :www.suksn.edu.in,Email Id: registrar@suksn.edu.in

पत्रांक–4214/प0सा0/सि0वि0वि0/2022 दिनांक 15/11/2022

अधिसूचना

एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर से सम्बन्धित समस्याओं एवं द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति **की बैठक दिनांक 09–11–2022** में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सत्र 2022–23 से निम्नानुसार नियम लागू किये जाते हैं–

(A)– यदि परीक्षार्थी ने प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दी है और द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा हेतु आवेदन किया है किन्तु परीक्षा नहीं दी है तो उसे अगले वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति होगी, परन्तु इसके लिये उसे पुनः परीक्षा आवेदन करना होगा। उक्त परीक्षा के उपरान्त दोनों सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय) मे अपेक्षित क्रेडिट प्राप्त करने के आधार पर ही उसे द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा।
(शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16()26)/2011 टी0सी0, लखनऊ दिनांक 13 जुलाई, 2021 का बिन्दु सं0–103 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हिता परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएं लेने की आवश्कता नहीं होगी।)

(B)– यदि परीक्षार्थी प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में फेल है तो उसे प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में नवीन छात्र के रूप में पुनः प्रवेश लेना होगा। परन्तु यदि वह दोनों सेमेस्टर के कुछ प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण है तो वह अगले वर्ष अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों की परीक्षा बैक पेपर के रूप में दे सकता है। यहां तक कि यदि वह इसके बावजूद एक या अनेक प्रश्नपत्रों में फिर भी अनुत्तीर्ण रह जाता है तो वह इस हेतु एक और वर्ष (इस तरह कुल मिलाकर तीन वर्ष) तक प्रयास कर सकता है।

(C)– परीक्षार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में चयनित वोकेशनल कोर्स को आगामी सेमेस्टर में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2021 के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार कौशल विकास परक पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

i- Individual nature: **एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम।**

ii- Progressive nature: **एक ही पाठ्यक्रम, जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सके।**

अतः चारो सेमेस्टर हेतु वोकेशनल पाठ्यक्रम का संचालन/चयन पाठ्यक्रम की प्रकृति और स्वरूप पर आधारित होगा। यदि पाठ्यक्रम चारों सेमेस्टर हेतु समेकित रूप से निर्मित हुआ है तो तद्नुरूप होगा और यदि प्रत्येक सेमेस्टर हेतु अलग–अलग बनाया गया है तो उसके अनुसार होगा।

(D)– यदि परीक्षार्थी प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम क्रेडिट आहरित कर लेता है परन्तु द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देता है तो वह शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2022 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 के बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकता है, के आधार पर चतुर्थ सेमेस्टर में पहुंचकर चतुर्थ एवं द्वितीय दोनो सेमेस्टर की एक साथ परीक्षा नहीं दे सकेगा। इसलिए उस छात्र का तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नहीं लिया जा सकता है। अगले वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरान्त ही वह तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेगा।

(E)– यदि परीक्षार्थी के द्वितीय सेमेस्टर (या किसी भी सेमेस्टर) में बैक लगा है तो उसे यदि बैक पेपर का पाठ्यक्रम समान है तो उसे पुनः आन्तरिक परीक्षा नहीं देनी होगी, अन्यथा की स्थिति में आन्तरिक परीक्षा होगी। (द्रष्टव्य शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2020/08(35)/2020 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 बिन्दु संख्या–4.1)

15/11/22

परीक्षा नियंत्रक

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0(भारत)
Website :www.suksn.edu.in,Email Id: registrar@suksn.edu.in

पत्रांक–4214 / प0सा0 / सि0वि0वि0 / 2022 दिनांक 15 / 11 / 2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
2. वित्त अधिकारी / कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय), सिद्धार्थ वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. समस्त प्रभारी / विभागाध्यक्ष, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी / जनसम्पर्क अधिकारी, सिद्धार्थ वि0वि0क0,सि0।
6. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

15/11/22

सहायक कुलसचिव(परीक्षा)